न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

CNR N0. UKCL020003342022

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या – 20/2022

दाण्डिक वाद संख्या – 273/2021

देवेन्द्र सिंह कुंवर बनाम प्रदीप खण्डूरी।

अंतर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

दिनांक : 13.06.2022

आज यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप खण्डूरी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तनुजा सेमवाल, श्री भरत सिंह रावत एवं श्री बरूण रावत द्वारा दाण्डिक वाद संख्या – 273/2021, अन्तर्गत धारा– 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में इस आशय के अभिवाक् के साथ प्रस्तुत किया गया कि मामले में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध जमानती वारण्ट जारी हुआ है। परिवादी द्वारा निराधार तथ्यों एवं असत्य कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 3 अन्य परिवाद भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप शमनीय एवं जमानतीय है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टिनुसार अपने जमानतीयों को प्रस्तुत करने को तैयार है। तद्नुसार दौराने वाद प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

2– सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला परिवाद पर संस्थित है तथा अपराध जमानतीय है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को पर्याप्त मानते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को ₹50,000.00 (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।